जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित जिला ...
**स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 08.10.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त**

पत्रांक– 2714 / M-08 / 140 दिनांक 22/10/2024

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 08.10.2024 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (उपाध्यक्ष) |
| 2. | जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 3. | जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 4. | श्री अजीत पाठक, जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 5. | श्री ओम प्रकाश, एस0डी0ओ0 वन विभाग। | (सदस्य) |
| 6. | श्री सतेन्द्र कुमार, अतिरिक्त डी0ए0ओ0 कृषि विभाग। | (सदस्य) |
| 7. | श्री एस0के0 सचान, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग। | (सदस्य) |
| 8. | श्री गौतम प्रसाद, शिक्षा विभाग। | (सदस्य) |
| 9. | श्री बलराम सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, शमसाबाद। | (आमंत्रित सदस्य) |
| 10. | श्री सुनील कुमार जायसवाल, खण्ड विकास अधिकारी, राजेपुर। | (आमंत्रित सदस्य) |
| 11. | श्री त्रिलोक चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज। | (आमंत्रित सदस्य) |
| 12. | श्री मनीराम, खण्ड विकास अधिकारी, कायमगंज। | (आमंत्रित सदस्य) |
| 13. | श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज | (आमंत्रित सदस्य) |
| 14. | श्री हिमांशु राठौर, जिला समन्वयक, मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0। | (डी0पी0एम0यू0) |
| 15. | श्री चारू चन्द्र उपाध्याय, डी0पी0एम0, मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0। | (टी0पी0आई0) |
| 16. | श्री विनोद वर्मा, साइट इंजीनियर मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0। | (टी0पी0आई0) |
| 17. | श्री महेश महेश्वरी, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 18. | श्री शिव त्रिपाठी, पी0एम0, मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 19. | श्री नीलेन्द्र सिंह, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 20. | श्री उदय कुमार, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 21. | श्रीमती सुनीता सक्सेना, कोआर्डिनेटर, मै0 भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी। | (आई0एस0ए0) |
| 22. | श्रीमती गीता सैनी, कोआर्डिनेटर, मै0 सवार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ | (आई0एस0ए0) |
| 23. | अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद। | (सदस्य सचिव) |

सर्व प्रथम विगत बैठक दिनांक 22.07.2024 को आहूत बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद द्वारा अपने पत्रांक 2025/कार्य–7/85 दिनांक 07.09.2024 माध्यम से समिति को अवगत कराया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करने के उपरान्त बिन्दुव समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये:–

1– जल जीवन मिशन फेज–02 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यदायी एजेन्सी मै0 जी0वी0पी0आ इंजी0 लि0 हैदराबाद के प्रतिनिधि श्री महेश्वरी द्वारा अवगत कराया गया कि फेज–02 के अन्तर्गत फर्म द्वारा 227 न पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है जिसमें 227 नग उच्च जलाशय का कार्य कराय जाना प्रस्तावित है जिस द्वारा 46 नग उच्च जलाशय शत्–प्रतिशत, 64 नग उच्च जलाशय 51–75 प्रतिशत, 80 नग उच्च जलाशय 26–50 प्रतिश 37 नग उच्च जलाशय 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 255 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 253 नग प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 1853 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1772 कि0मी0 वितरण प्रणाली : कार्य पूर्ण कर दिया गया है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा ग्राम समाउद्दीनपुर तहसील कायमगंज की भूमि अभी तक अप्रा होना बताया गया जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उपजिलाधिकारी कायमगं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह में भूमि प्राप्त करने हेतु निर्देशित कि गया। फर्म द्वारा बिछाई गई वितरण प्रणाली की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण करना बताया गया, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म प्रतिनिधि को सभी 227 नग पेयजल योजनाओं के कार्य की प्रगति का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कि तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार प्रगति के सत्यापन हेतु निरीक्षण : आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराये।

2– जल जीवन मिशन फेज–03 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी एजेन्सी मै0 वी0टी0एल0 ग इंजी0 लि0, नोएडा के प्रतिनिधि श्री शिव त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि फेज–03 के अन्तर्गत फर्म द्वारा 151 : पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है जिसमें 154 नग उच्च जलाशय का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है वर्तम तक 65 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 25 नग. उच्च जलाशय माह अक्टूबर, 2024

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अन्त तक पूर्ण कर दिये जायेगे, तथा 62 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 2024 के अन्त तक पूण
दिया जायेगा तथा यह भी अवगत कराया कि 1722 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1698 कि0मी0 वितरण प्रणा
बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा वर्तमान में 119 नग राजस्व ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की
रही है, 154 नग राजस्व ग्रामों में ट्रायल रन पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। फर्म के प्रतिनिधि को पेयजल योज
सम्बन्धित अवशेष निर्माण कार्य तथा अवशेष गृह जल संयोजन देने का कार्य तीव्र गति से आवश्यक श्रम शक्ति लगाते
समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 06 नग उ
जलाशय–1–सोताबहादुरपुर विकास खण्ड बढपुर (लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि का चिन्हीकरण न कराये जाने के कार
2–बझेरा मलिक पट्टी विकास खण्ड कमालगंज (कोर्ट केस) 3–नगला दाऊद विकास खण्ड कमालगंज (कोर्ट के
4–ढिलावल विकास खण्ड बढपुर (तहसील स्तर से भूमि अप्राप्त) 5–चॉदपुर विकास खण्ड बढपुर (भूमि विनमय न हो
6–पथरामई विकास खण्ड कायमगंज (वन विभाग द्वारा कार्य बाधित) का कार्य भूमि विवादित होने के कारण बाधित है।
पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उक्त 06 नग योजनाओं हेतु वन विभाग
एस0डी0ओ0, उपजिलाधिकारी सदर एवं खण्ड विकास अधिकारी बढपुर से समन्वय स्थापित कर विवाद का निस्तारण/
प्राप्त करने की कार्यवाही 01 सप्ताह में करने हेतु निर्देशित किया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को सभी 151
पेयजल योजनाओं के कार्य की प्रगति का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया तथा सम्बन्धित खण्ड विक
अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार प्रगति के सत्यापन हेतु निरीक्षण कर आख्या 03 दिवस में उपल
कराये।

3– जन प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि उपभोक्ताओं के कनेक्शन घर में न लगाकर घर से दूर लगाये रहे है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे गृह जल संयोजनों को घर के अन्दर उचित मानकानुसार कराने फर्म के प्रतिनिधि तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि स्वामी की सहमति उपरान्त ही गृह जल संयोजन को घर के बाहर किया जाये। इस आशय का सहमति पत्र भी गृह स्व से लिया जाये।

4– ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पाइप लाइन बिछाने हेतु क्षतिग्रस्त किये गये मार्गो की मरम्मत न होने की शिका निरन्तर की जा रही है। प्रभारी मंत्री महोदय की बैठक में भी मरम्मत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे। अतः जिन ग्र में वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, उन ग्रामों की क्षतिग्रस्त की गई सड़को को टीम लगाकर अक्टूबर, 2024 तक गुणवत्ता पूर्ण मानकानुसार ठीक कराने हेतु मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 फर्म के प्रतिनिधि श्री त्रिपाठी, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 के प्रतिनिधि श्री महेश महेश्वरी तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया।

5– अधोहस्ताक्षरी द्वारा कराये गये रोड रैस्टोरेशन की ग्रामवार सूची 03 दिवस के अन्दर निर्माणकारी फर्म से प्राप्त करते 01–01 प्रति मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, मा0 सांसद मा0 विधायक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर देने हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

6– सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर रोड रैस्टोरेशन की स्थिति से अधिशासी अभियन्ता निगम (ग्रामीण) को अवगत कराते हुये गुणवत्ता एवं मानकानुसार मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया।

7– फर्म के प्रतिनिधि श्री महेश महेश्वरी तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि जनपद के प्र मंत्री मा0 श्री जयवीर सिंह द्वारा माह अक्टूबर, 2024 की समीक्षा बैठक से पूर्व ही ग्रामों की तोडी गई सड़को को गुणव एवं मानकानुसार ठीक कराना सुनिश्चित कर ले तथा **सभी खण्ड विकास अधिकारी** ग्रामों का भ्रमण कर सुनिश्चित कर कि उनके क्षेत्र की सभी मार्गो का मरम्मत कार्य कर दिया गया है।

8– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत आई0एस0ए0 एजेन्सी मै0 भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थ इटावा रोड़ बेवर मैनपुरी एवं मै0 सवार्थ सेवा संस्थान, न्यू नन्दी बिहार कालोनी, सराय शेख चिनहट, जनपद लखनऊ द्व कराये जा रहे कार्यो की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एजेन्सी द्वारा जनपद में कराये जा रहे जन जागर गतिविधियों के कार्यो का पी0पी0टी0 एवं वीडियों क्लिप के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सी भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इटावा रोड़ बेवर मैनपुरी के द्वारा फेज–01 के अन्तर्गत क्लस्टर B-1, B-4, के बीजक क्रमशः रू0 1501500.00, रू0 1501500.00 तथा रू0 1424500.00 प्रस्तुत किये गये तथा आई0एस0ए0 एजे मै0 सवार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ के द्वारा फेज–01 के अन्तर्गत क्लस्टर A-6, A-7, A-8 के बीजक क्रमशः रू0 1534 00, रू0 1150875.00 तथा रू0 2173875.00 प्रस्तुत किये गये जिनका सत्यापन सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर तथा सहा अभियन्ता द्वारा फोटो प्रतियों तथा वीडियों क्लिप के माध्यम से तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम सत्यापन कर लिया गया है एवं डी0पी0एम0यू0 द्वारा आई0एस0ए0 द्वारा कराई गई गतिविधियों का औचक स्थलीय निरी कर सत्यापन कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "शासना सं0–65/2022/3396/छियत्तर–1–2022–03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया से अव कराया गया है। शासनादेश के बिन्दु सं0 2 (iv) में निर्देश है कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) जिला पेय एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई0एस0ए0 की आर0एफ0पी0 के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बं फोटोग्राफ/वीडियों प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी" जिसके फलस्वरूप सदस्य स द्वारा उपरोक्त बीजको से सम्बन्धित गतिविधियों के फोटो/वीडियों एवं पी0पी0टी0 इत्यादि समिति के समक्ष प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

गये। जिस पर समिति द्वारा गतिविधियों का अवलोकन कर सर्व सहमति से सत्यापन किया गया जिसके फलस्वरु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापन पर अनुमोदन प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए।

9– मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 के प्रतिनिधि श्री शिव त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि ग्राम चौसपुर में कुछ ग्रामवासियों द्वा गृह जल संयोजन न लेने के कारण कार्य बाधित है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित आई0एस0ए0 को ग्राम चौस में जाकर ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करते हुये गृह जल संयोजन कराने हेतु निर्देशित किया तथा सभी ग्रामों में ज जागरूक गतिविधियों का कार्यक्रम कराते हुये शत्–प्रतिशत गृह जल संयोजन कराने हेतु आई0एस0ए0 को निर्देशि किया। यदि आई0एस0ए0 ग्रामों में जन जागरूक गतिविधियों का कार्य ठीक प्रकार से नही करती है/शिकायत प्राप्त होर तो हटाने/ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

10– अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने की शिकार की जा रही है। पम्पहाउस के निर्माण में द्वितीय श्रेणी की ईट का प्रयोग हो रहा है। टी0पी0आई0 द्वारा कोई भी अनुश्रव नही किया जा रहा है। इन्हे कोई जानकारी नही है। इस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवग कराया गया कि फर्मो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की जॉच टी0पी0आई0 के द्वारा समय–समय पर की जाती है। इ पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य शत्–प्रतिश गुणवत्ता पूर्ण एवं मानकानुसार कराना सुनिश्चित करे। टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कराये जा रोड रैस्टोरेशन का ग्रामवार विवरण प्रेषित करने के साथ–साथ कार्यस्थल/पम्प हाउस पर दोयम ईट की शिकायतों क्या कार्यवाही की गयी है, को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित करे यदि टी0पी0आई0 द्वारा अपने दायित्वों निर्वहन/गुणवत्ता नियंत्रण उचित प्रकार से नही किया जाता है, तो ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही अमल में ल जायेगी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) टी0पी0आई0 के कार्यो की स्वयं समीक्षा करे।

11–अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक 15 दिवस में तथा अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रत्येक माह कराने हेतु निर्देशित किया गया।

12–अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया कि सभी अधिकारी सम्बन्धित फील्ड में जाकर निर्माणाधीन/निर्मित परियोजनाओं निरीक्षण करे। फील्ड में पर्याप्त भ्रमण न करने के कारण निर्माणकारी एजेन्सी को मनमाने ढंग से कार्य करने का अव मिल रहा है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) एवं उनकी टीम निरन्तर कार्य स्थल पर भ्रमण करे तथा एजे को निर्देशित किया गया कि योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यो की प्रगति में सुधार लाये तथा कराये जा रहे कार्यो मानकानुसार गुणवत्ता पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

**धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।**

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रुखाबाद।
7. उपजिलाधिकारी सदर/कायमगंज/अमृतपुर, फर्रुखाबाद।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
9. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0 टी0पी0आई0, फर्रुखाबाद।
10. मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 डी0पी0एम0यू0, फर्रुखाबाद।
11. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
12. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजीनियर्स प्रा0लि0 जे0वी0, नोएडा।
13. मै0 भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इटावा रोड़ बेवर मैनपुरी।
14. मै0 सवार्थ सेवा संस्थान, न्यू नन्दी बिहार कालोनी, सराय शेख चिनहट, जनपद लखनऊ।

22.10.24

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner